डायरी नं० 2846
फाईल नं० 1
दिनांक 11-6-18

आदेश

जनपद अल्मोड़ा मे तहसील द्वाराहाट, अल्मोड़ा के अर्न्तगत **विनायक–रिखाड़–कोटिला मोटर मार्ग** प्रस्तावित मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 5.400 हैक्टयर वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की **कुल–5.400 हैक्टेयर** सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सबंध मे प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन मे उपरोक्त मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि उपलब्ध कराये जाने के सबंध मे तहसीलदार द्वाराहाट, के पत्रांक 136/र.का.क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2014–15 दिनांक 09.05.2018 के द्वारा प्रेषित तथा उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट द्वारा अग्रसारित प्रस्ताव पर याचक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत, पत्रांक संख्या–1018/27 सी.दिनांक 15–05–2018 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवतः अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दिनांक 17.04.2018 को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट, चयनित की गई भूमि की खतौनी, व खसरा एवं चयनित भूमि का मौका नक्शा एवं निर्धारित प्रारूप–2, तथा तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट, की आख्या सहित वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड देहरादून, के पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/184/2015 एफ0सी0/1129, दिनांकः 18–10–2016 के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु ग्राम–नैणी, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र–पैठानी ,तहसील–द्वाराहाट के गै0ज0 वि0ख0खा0संख्या–21 की श्रैणी–9(3)ड़ ''बंजर काबिल आबाद'' भूमि के पैमायसी खेत नम्बर 1555 मध्य 5.400 हैक्टेयर, अर्थात कुल 01 खेत नम्बरान की **कुल 5.400 हैक्टेयर** सिविल भूमि को क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। तद्नुसार ही क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार द्वाराहाट उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगी।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या 4359/ग्यारह– 13 /2017–18, दिनांकः 04-06-~~मई~~, 2018

प्रतिलिपिःनिम्नाकिंतों को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3– उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट।
4– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत।
5– तहसीलदार, द्वाराहाट को उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा